न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2019-00341RAAJodhpur2019-139RTA223 Khameesh khan Vs Ms. Jai Ambe etc

खमीश खां पुत्र श्री आदम खां, जाति मुसलमान, निवासी–
मोहरनगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मै. जय अम्बे माईनिंग कॉरपोरेशन जरिये खास मुख्त्यार तनुज कुमार उपाध्याय पुत्र श्री नवल कुमार उपाध्याय, जाति उपाध्याय, निवासी– बी/2/25 विनायक नगर, गंगाशहर, बीकानेर। **(वादी) रेस्पो.**
2. धनाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई, निवासी– चैनपुराकला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवंबर 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेंक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 422/2019 मैसर्स जय अम्बे बनाम धन्नाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

नि र्ण य

दिनांक : 04 दिसबंर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेंक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 422/2019 अनवान मैसर्स जय अम्बे बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 नवंबर 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1136/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नं. 1136/6 रकबा 15 बीघा ग्राम चैनपुराकला तहसील फलोदी के संबंध धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

88 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर उसके पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 27.03.2006 के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2019 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मनमाने ढंग से आदेश पारिते किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10. 2019 को प्रतिवादी संख्या 1 का वकालतनामा प्रस्तुत होने के बावजूद वादी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया फार्म संख्या तीन के साथ दस्तावेज पेश किया जो वाद दर्ज रजिस्टर होने के बाद बिना विपक्षी पक्षकार को सुने एवं न्यायालय की अनुमति कें बिना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुति एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसका जवाबं बंद कर दिया तथा दूसरी तरफ वादी के बयान कलमबद्ध कर दिये तथा प्रतिवादी को जिरह का अवसर ही नहीं दिया गया । कानूनन आम मुख्त्यार को वादी की जगह साक्ष्य में उपस्थित होकर अपने बयान कलमबद्ध नहीं करवा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त बयान के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो बिना किसी विवेचन के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यशैली संदेह के दायरे में आती है। दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवदन किया कि वादी ने दो अलग–अलग वादकारणों के विरूद्ध एक ही वाद प्रस्तुत किया है तथा खसरा नं. 1136/1 एवं खसरा नं. 1136/6 के खातेदार भिन्न–भिन्न व्यक्ति है। उक्त दोनो खसरान् बाबत एक वाद कतई पेश नहीं किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस बेचाननामे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है, उन बेचाननामों की सत्यता व ग्राहयता पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि दो भिन्न–भिन्न खसरों का एवं दो भिन्न–भिन्न काश्तकारों का बेचाननामा क्या एक ही हो सकता है?, इस बारे में विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन संदिग्ध बेचाननामे के आधार पर पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेंक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 422/2019 अनवान मैसर्स जय अम्बे बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवंबर 2019 को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर. 2019(एस.सी.) पेज 4780, ए.आई.आर. 2005(एस.सी.) पेज 439 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक,के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1136/1 रकबा 10 बीघा धन्नाराम से तथा खसरा नं. 1136/6 रकबा 15 बीघा खमीश खां से पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 27.03.2006 के जरिये खरीद सुदा भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या एक वक्त खरीद अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या दो को प्रतिफल राशि अदा कर मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के पश्चात नियमानुसार 90 दिन की अवधि तक प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर उनका जवाब बंद किया है। अपीलांट द्वारा मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार के उज्र नहीं उठाये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 27.03.2006(ई.एक्स.पी–4ए) के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1136/1 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1136/6 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक मै. जय अम्बे माईनिंग कॉपो. जरिये प्रो. कमलेन्द्रसिंह कुड़की पुत्र महेन्द्रसिंह की क्रमशः रेस्पोडेंट संख्या दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं अपीलांट से प्रतिफल राशि रूपये 75000/– में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 12.07.2019 से 05.11.2019 तक जवाब प्रस्तुति के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उसकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 05.11.2019 को अपीलांट का जवाब बंद किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य ली जाकर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य (ए.एक्सी.पी–4ए) पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया है। अपीलांट द्वारा इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेंक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 422/2019 अनवान मैसर्स जय अम्बे बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवंबर 2019 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
खमीश खां पुत्र श्री आदम खां, जाति मुसलमान, निवासी– मोहरनगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, हाल जिला फलोदी।	ब ना म	1. मै. जय अम्बे माईनिंग कॉरपोरेशन जरिये खास मुख्त्यार तनुज कुमार उपाध्याय पुत्र श्री नवल कुमार उपाध्याय, जाति उपाध्याय, निवासी– बी/2/25 विनायक नगर, गंगाशहर, बीकानेर। 2. धनाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति विश्नोई, निवासी– चैनपुराकला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवंबर 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेंक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 422/2019 मैसर्स जय अम्बे बनाम धन्नाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 04 दिसंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट एवं श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेंक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 422/2019 अनवान मैसर्स जय अम्बे बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवंबर 2019 यथावत रखे जाते है। यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ————————) रूपये ———————— अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का ———————— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 04 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर